

राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
बिहार लोक भवन, पटना–800022

संख्या–246/2026

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्यपाल ने सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए दिए जरूरी निर्देश

पटना 19 नवम्बर, 2026 :– माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण निदेशालय के राज्य प्रबंधन समिति की 24वीं बैठक बिहार लोक भवन, पटना में सम्पन्न हुई।

बैठक में पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों के कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं और मुद्दों पर चर्चा की गई तथा लाभार्थियों तक सरकारी सुविधाएँ समय पर पहुँचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के प्रभावी आयोजन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस दिवस के महत्व, इसकी प्रासंगिकता तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष में योगदान के महत्व को रेखांकित करते हुए जन–जागरूकता अभियान पहले से शुरू किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकाधिक जनभागीदारी और योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया तथा अन्य संचार माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार–प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने अभियान में प्रमंडलीय आयुक्तों और अन्य अधिकारियों को भी जोड़ने तथा समय–समय पर लोगों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों के साथ लगातार संपर्क और संवाद बनाए रखना जरूरी है, ताकि उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों की सही जानकारी मिलती रहे। उन्होंने खास तौर पर ऐसे पेंशनभोगियों तक पहुँचने पर जोर दिया, जिन्हें अपनी पेंशन में मिलने वाली बढ़ोतरी या अन्य लाभों की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने ऐसे लाभार्थियों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित करने को कहा, ताकि वे अपने वैध अधिकारों और लाभों का पूरा लाभ उठा सकें।

उन्होंने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण–पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने और उसके समय पर सत्यापन की बेहतर व्यवस्था बनाने को भी कहा, ताकि पेंशन मिलने में किसी तरह की रुकावट न आए।

बैठक में एकीकृत सैनिक परिसर की स्थापना और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के संबंध में भी चर्चा हुई। इसमें वे पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, जिन्होंने निर्धारित अवधि की सैन्य सेवा पूरी की है।

आगे पृष्ठ....2 पर

राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक अनुदान और सैनिकों की विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का व्यापक प्रचार करने पर जोर दिया, ताकि पात्र लाभार्थी इन प्रावधानों से अवगत हो सकें और इनका लाभ उठा सकें।

बैठक में बिहार के पैराप्लेजिक सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए किर्की और मोहाली स्थित पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाकर प्रति सैनिक प्रति वर्ष 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। इससे उनके पुनर्वास और देखभाल को और मजबूती मिलेगी।

बैठक में गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार, राज्यपाल की सचिव श्रीमती रचना पाटिल, बिहार एवं झारखंड सब एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, सैनिक कल्याण निदेशालय और राज्यपाल सचिवालय के अधिकारी तथा अन्य लोग उपस्थित थे।

.....